17.7.25 उभय पक्ष अनुपस्थित। वाद वादी स्वीकार किया जाता है। विस्तृत
निर्णय अलग से लिखाया जाकर शामिल मिसल किया गया।
निर्णय अनुसार पालना डिक्री जारी हो। पत्रावली नंबर से कम
होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश खुले इजलास सुनाया
गया।

GCMS
2024/614

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.07.23 14:08:08 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारीः संदीप कुमार आर. ए. एस.

प्रकरण सं0 307/2024 GCMS:- 2024/614 दायर दिनांकः– 07–10–2024

राजवीर भादू पुत्र श्री राजाराम भादू जाति जाट साकिन वार्ड न0 18 लाजपत नगर , सूरतगढ तहसील सूरतगढ जिला श्री गंगानगर राज0

–––– वादी

बनाम

1– विनोद कुमार सैनी पुत्र श्री भगवानाराम जाति सैनी साकिन सूरतगढ

2– शाखा प्रबन्धक एसडीएफसी बैंक लिमिटेड शाखा सूरतगढ

3– उप पंजियक़ महोदय सूरतगढ

4–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ

––– प्रतिवादीगण

वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, 209, राज0 काश्त0 अधि0 1955

उपस्थित :–

1–श्री राजाराम भादू , अंजनी कुमार चोटिया अभिभाषक वादी

2–सुरेन्द्रपाल सिंह अभिभाषक प्रतिवादी सं0 2

3– पैरोकार राज नायब तहसीलदार, सूरतगढ ।

–:– निर्णय –:– दिनांक :– 17.07.2025

आज पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई । अभिभाषकगण पक्षकारान एवं पैरोकार राज उपस्थित । पत्रावली का अवलोकन किया । प्रकरण के सक्षेप तथ्य इस प्रकार है कि प्रतिवादी सं0 1 के नाम से संयुक्त खाते की भूमि वाके चक 35 पी बी एन के खाता सं0 33/98 के प0न0 30/379 मु0न0 58 के किला न0 14 में 0.253 है0 नाली दोयम खातेदारी भूमि 1/3 हिस्सा खातेदारी भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है । जैरवाद भूमि में से भूमि वाके चक 35 पी बी एन के खाता सं0 33/98 के प0न0 30/379 मु0न0 58 के किला न0 14 में 0.253 है0 नाली दोयम खातेदारी भूमि में 1/3 हिस्सा में से 0.0501 है0 नाली दोयम खातेदारी भूमि को जरिये रजिस्टर्ड बैयनांमा दिनांक 12–10–2023 को वादी के पक्ष में रोबरू गवाहान प्रतिफल राशि प्राप्त कर उप पंजियक कार्यालय सूरतगढ के समक्ष बैयनांमा वादी के पक्ष में पंजीयन करवा दिया एवं कब्जा भूमि का मौका पर संभलवा दिया गया । वादी उक्त बैयनांमा के आधार पर वाद–अन्ताति भूमि का खातेदार कृषक है व जरिये घोषणात्मक वाद–पत्र राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दर्ज करवाने का कानूनन हकदार है । प्रतिवादी न0 1 का उक्त बेची गई भूमि पर किसी प्रकार का कानूनी हक/कानुनन अधिकार नही रहा है व ना ही मौका पर उसका कब्जा काश्त रहा है मात्र राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी न0 1 का नाम अंकित होने के कारण व वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित नही होने के फलस्वरूप प्रतिवादी न0 1 वाद अन्ताति भूमि को बेचान करने को आमादा है जबकि उसे जमीन बेचने का कोई अधिकार नही रहा है। अब यदि प्रतिवादी न0 1 के द्वारा उक्त भूमि का बेचान कर दिया गया तो वादी को ना पुरा होने वाला नुकसान होगा । प्रतिवादी न0 1 के नाम जैरवाद रकबा में अपने हिस्सा पर एस डी एफ सी बैंक लिमिटेड शाखा सूरतगढ के पक्ष में रहन रखा हुआ है। प्रतिवादी न0 1 द्वारा अपना रकबा बेचान करने पर ऋण राशि बैंक में जमा नही करवाई जा रही है । जिसके कारण वादी के पक्ष में हुये बैयनांमा का नामान्तरण नही किया जा रहा है । इसलिये प्रतिवादी न0 4 को पाबन्द किया जावे कि प्रतिवादी न0 1 की 0.253 है0 में 1/3 हिस्सा रहन भूमि में से जैरवाद भूमि 0.0501 है0 नाली दोयम खातेदारी भूमि की एन ओ सी जारी की जावे व भूमि पर रहन रखा जावे । इसलिए वादी जैरवाद भूमि वाके चक 35 पी बी एन तहसील सूरतगढ के खाता सं0 33/98 के प0न0 30/379 मु0न0 58 के किला न0 14 में 0.253 है0 नाली दोयम खातेदारी भूमि में 1/3 हिस्सा में से 0.0501 है0 नाली दोयम खातेदारी भूमि में प्रतिवादी न0 1 का नाम खारिज कर वादी के नाम खातेदार कृषक घोषित किये जाने का निवेदन किया ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.07.23 14:08:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

वाद-पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्ट्रर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये साधारण एवं रजिस्टर्ड समन से तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 2 जरिये अभिभाषक सुरेन्द्रपालसिंह हाजिर होकर जबाब पेश किया । प्रतिवादी नं0 1 बावजूद तलबी सुचना हाजिर नही आये उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की अमल में लाई गई । जरिये पेरोकार राज उपस्थित हुये। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद-पत्र में तनकी कायम की गई ।

1- आया कि प्रतिवादी न0 1 के नाम संयुक्त खाते वाके चक 35 पी बी एन के खाता सं0 38/98 प0न0 30/379 मु0न0 58 के किला नं0 14 में 0.253 है0 नाली दोयम खातेदारी भूमि में 1/3 हिस्सा खातेदारी भूमि राजस्व रिकार्ड दर्ज है ?
-- वादी

2- आया कि प्रतिवादी न0 1 जैरवाद रकबा में से 0.0501 है 0 भूमि का बैयनांमा वादी के पक्ष में निष्पादित करवा कर कब्जा मौका पर सम्भला दिया गया ?
-- वादी

3- आया कि उक्त जैरवाद रकबा का वादी को खातेदार कृषक घोषित कर राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे ?
--- वादी

4- अन्य अनुतोष

इसके पश्चात वादी के अभिभाषक एवं पेरोकार राज की बहस सुनी गई । जिसमें वादी के विद्वान अभिभाषक ने दावे के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि प्रतिवादी सं0 1 के नाम से संयुक्त खाते की भूमि वाके चक 35 पी बी एन के खाता सं0 33/98 के प0न0 30/379 मु0न0 58 के किला न0 14 में 0.253 है0 नाली दोयम खातेदारी भूमि 1/3 हिस्सा में से 0.0501 है0 नाली दोयम खातेदारी भूमि को जरिये रजिस्टर्ड बैयनांमा दिनांक 12-10-2023 को वादी के पक्ष में रोबरू गवाहान प्रतिफल राशि प्राप्त कर उप पंजियक कार्यालय सूरतगढ के समक्ष बैयनांमा वादी के पक्ष में पंजीयन करवा कर कब्जा दिया गया । वादी उक्त बैयनांमा के आधार पर वाद-अन्ताति भूमि का खातेदार कृषक है । प्रतिवादी न0 1 का उक्त बेची गई भूमि पर किसी प्रकार का कानूनी हक/कानुनन अधिकार नही रहा है व ना ही मौका पर उसका कब्जा काश्त रहा है मात्र राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी न0 1 का नाम अंकित होने के कारण व वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित नही होने के फलस्वरूप प्रतिवादी न0 1 वाद अन्ताति भूमि को बेचान करने को आमादा है जबकि उसे जमीन बेचने का कोई अधिकार नही रहा है। अब यदि प्रतिवादी न0 1 के द्वारा उक्त भूमि का बेचान कर दिया गया तो वादी को ना पुरा होने वाला नुकसान होगा । प्रतिवादी न0 1 के नाम जैरवाद रकबा में अपने हिस्सा पर एस डी एफ सी बैंक लिमिटेड शाखा सूरतगढ के पक्ष में रहन रखा हुआ है। प्रतिवादी न0 1 द्वारा अपना रकबा बेचान करने पर ऋण राशि बैंक में जमा नही करवाई जा रही है । जिसके कारण वादी के पक्ष में हुये बैयनांमा का नामान्तरण नही किया जा रहा है । इसलिये प्रतिवादी न0 4 को पाबन्द किया जावे कि प्रतिवादी न0 1 की 0.253 है0 में 1/3 हिस्सा रहन भूमि में से जैरवाद भूमि 0.0501 है0 नाली दोयम खातेदारी भूमि की एन ओ सी जारी की जावे एव शेष भूमि पर रहन रखा जावे । इसलिए वादी जैरवाद भूमि वाके चक 35 पी बी एन तहसील सूरतगढ के खाता सं0 33/98 के प0न0 30/379 मु0न0 58 के किला न0 14 में 0.253 है0 नाली दोयम खातेदारी भूमि में 1/3 हिस्सा में से 0.0501 है0 नाली दोयम खातेदारी भूमि में प्रतिवादी न0 1 का नाम कलमजन कर वादी के नाम खातेदार कृषक घोषित किये जाने का निवेदन किया ।

प्रतिवादी सं0 2 के अभिभाषक ने जबाब दावा के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि प्रतिवादी न0 1 के द्वारा अपने नाम खातेदारी भूमि प्रतिवादी सं0 2 को रहन रखी गई है। जिसका राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी न0 2 के नाम रहन अंकन है। प्रतिवादी न0 1 के द्वारा उक्त भूमि का रहन राशि जमा नही करवाई गई है जिसके कारण एन ओ सी जारी नहीं की जा सकती। माननीय न्यायालय इस कृषि भूमि के सम्बन्ध में कोई भी आदेश पारित करते समय यह ध्यान रखे कि प्रतिवादी न0 2 के हितो पर विपरित प्रभाव न पड़े।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.07.23 14:08:08 IST
Reason: SelfAttested

पक्षकारान के तर्क सुने जाने के पश्चात तर्कों के आलोक में पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया व मनन किया गया । विस्तुत विवेचन तनकी वार निम्न प्रकार से है :-

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

आया कि प्रतिवादी न0 1 के नाम संयुक्त खाते वाके चक 35 पी बी एन के खाता सं0 38/98 प0न0 30/379 मु0न0 58 के किला नं0 14 में 0.253 है0 नाली दोयम खातेदारी भूमि में 1/3 हिस्सा खातेदारी भूमि राजस्व रिकार्ड दर्ज है ?

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था । प्रतिवादी न0 1 के नाम संयुक्त खाते की भूमि वाके चक 35 पी बी एन के खाता सं0 38/98 प0न0 30/379 मु0न0 58 के किला नं0 14 में 0.253 है0 नाली दोयम खातेदारी भूमि में 1/3 हिस्सा खातेदारी भूमि राजस्व रिकार्ड दर्ज है । जिसकी जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 2077 प्रस्तुत किये है । जो ई एक्स पी–1 है । जिस पर प्रतिवादीगण द्वारा कोई जिरह नही की गई है । जिससे यह सिद्ध हो जाता है कि प्रतिवादी न0 1 संयुक्त हिस्से का खातेदार कास्तकार है । तनकी न0 1 बहक वादी निर्णित की जाती है।

2– आया कि प्रतिवादी न0 1 जैरवाद रकबा में से 0.0501 है 0 भूमि का बैयनांमा वादी के पक्ष में निष्पादित करवा कर कब्जा मौका पर सम्भला दिया गया ?

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था । वादी द्वारा वाद–पत्र में प्रतिवादी न0 1 के नाम जमाबन्दी सम्0त 2074 ता 2077 खाता सं0 33/98 प्रस्तुत की गई । तथा प्रतिवादी न0 1 के द्वारा अपने नाम उक्त जैरवाद भूमि में अपने हक व हिस्सा का बेचान जरिये बैयनांमा दिनांक 12–10–2023 उप पंजीयक सूरतगढ के समक्ष पूर्ण प्रतिफल राशि प्राप्त कर करवाया गया । जैरवाद रकबा का कब्जा कास्त वादी को सुपुर्द कर दिया गया । जिस पर वादी का कब्जा कास्त चला आ रहा है । वादी के द्वारा बैयनांमा की चिप्रतिलिपी पेश की गई जो ई एक्स पी –2 ए है । तथा मूल बैयनांमा प्रति मय शपथ–पत्र प्रस्तुत की गई । जो ई एक्स पी–2 है । जिसके खण्डन में प्रतिवादी द्वारा ऐसा कोई भी दस्तावैज प्रस्तुत नही किया जिससे यह सिद्ध हो सके की वादी के कथन गलत दर्शित किये गये है। इसलिए तनकी न0 2 बहक वादी निर्णित की जाती है ।

3– आया कि उक्त जैरवाद रकबा का वादी को खातेदार कृषक घोषित कर राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे ?

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था । वादी द्वारा के द्वारा तनकी न0 1 व 2 के द्वारा प्रस्तुत दस्तावैजो जो ई एक्स पी –1 व 2 है के आधार पर प्रतिवादी न0 1 के नाम जैरवाद रकबा का खातेदार कृषक होने तथा उक्त खातेदारी भूमि का बेचान वादी को किया जाना साबित किया है जिसका खण्डन प्रतिवादी न0 1 के द्वारा नही किया गया है । उक्त रकबा पर प्रतिवादी न0 1 का रहन दर्ज होने के कारण वादी अपने हक व अधिकारो का राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद कर उपयोग करने से वंचित है । प्रतिवादी न0 1 के नाम जैरवाद रकबा के अलावा अन्य भी सम्पति प्रतिवादी न0 2 को रहन रखी गई है । इसलिए प्रतिवादी न0 1 के द्वारा उक्त जैरवाद रकबा का पूर्ण प्रतिफल राशि प्राप्त कर बैयनांमा वादी के पक्ष में करवा देने के पश्चात वादी उक्त जैरवाद रकबा का खातेदार कास्तकार हो गया है इसलिए तनकी न0 3 बहक वादी निर्णित की जाती है ।

इस प्रकार वादी के वाद–पत्र में प्रस्तुत दस्तावैज का अवलोकन करने तथा तनकीयात बार वाद का विवेचन करने पर बहन तनकी वादी निर्णित की गई है इस आधार पर उक्त वाद–पत्र को स्वीकार किया जाना उचित समझते है ।

अतः उक्त विवेचन अनुसार दावा स्वीकार किया जाकर जैरवाद रकबा वाके **चक 35 पी बी एन तहसील सूरतगढ के खाता सं0 33/98 के प0न0 30/379 मु0न0 58 के किला न0 14 में 0.253 है0 नाली दोयम खातेदारी भूमि में 1/3 हिस्सा में से 0.0501 है0 नाली दोयम खातेदारी भूमि में प्रतिवादी न0 1 का नाम कलमजन कर वादी के नाम खातेदार कृषक घोषित किये जाने के आदेश दिये जाते है । जमाबन्दी में इसी के मुताबिक अंकन करने के आदेश दि**[illegible] । जमाबन्दी में इसी के मुताबिक अंकन करने के आदेश दिये जाते है । डिक्री जारी हो [illegible] करे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 17.07.25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.07.23 14:08:08 IST
Reason: SelfAttested

(संदीप कुमार)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
(राजस्व) सूरतगढ

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ (राज.)

(आदेश 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

डिक्री बमुकद्‌दम इश्तदाई

अज अदालत –सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी , सूरतगढ जिला श्री गंगानगर

बइजलास – श्री संदीप कुमार आर. ए. एस.

अनवान :

राजवीर भादू पुत्र श्री राजाराम भादू जाति जाट साकिन वार्ड नं0 18 लाजपत नगर , सूरतगढ तहसील सूरतगढ जिला श्री गंगानगर राज0

—––– वादी

बनाम

1– विनोद कुमार सैनी पुत्र श्री भगवानाराम जाति सैनी साकिन सूरतगढ

2– शाखा प्रबन्धक एसडीएफसी बैंक लिमिटेड शाखा सूरतगढ

3– उप पंजियक महोदय सूरतगढ

4–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ

——– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 आर. टी. ए. मुकदमा नं0 307 वर्ष 2024 यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कितई रूबरू हमारे व हाजिर अभिभाषक वादी श्री राजाराम भादू , अंजनी कुमार चोटिया , प्रतिवादी सं0 2 जरिये अभिभाषक सुरेन्द्रपाल सिंह , प्रतिवादी नं0 1 बावजूद सुचना उपस्थित नही आये उनके विरूद्ध एक पक्षिय कार्यवाही की गई एवं राज पैरोकार तहसीलदार सूरतगढ के पेश होने पर हुक्म दिया जाता है । वाद वादी निम्न प्रकार से आदेशित कर डिक्री जारी करने के आदेश प्रदान किये जाते है :–

चक 35 पी बी एन तहसील सूरतगढ के खाता सं0 33/98 के प0न0 30/379 मु0न0 58 के किला न0 14 में 0.253 है0 नाली दोयम खातेदारी भूमि में 1/3 हिस्सा में से 0.0501 है0 नाली दोयम खातेदारी भूमि में प्रतिवादी न0 1 का नाम कलमजन कर वादी के नाम खातेदार कृषक घोषित किये जाने के आदेश दिये जाते है । जमाबन्दी में इसी के मुताबिक अंकन करने के आदेश दिये जाते है ।

नोज ....×..................मुबलिग ......×..........बाबत ....×............खर्चा इस मुकदमें में मय सूद बशहर ....×................फसदो की पालना.........×...........आज की तारीख से तारीख वसुलया वो तक की अदा करे ।

बसिन्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक ...17.07.2025... को जारी की गई।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

(संदीप कुमार)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ (श्रीगंगानगर)

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.07.23 14:08:08 IST
Reason: SelfAttested